सं0सं0–1/कोर्ट–12/2019–482(1)

(116)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विवेकानन्द ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

श्री अनिल कुमार सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्,
आई0ए0एस0 एसोसिएशन भवन,
हवाई अड्डा के नजदीक, पटना।

पटना, दिनांक– 18/04/2019

विषय– **National Eligibility cum Entrance Test (Post Graduate) for admission to Medical/Dental, MD/MS/Post Graduate Diploma Courses-2019 के परीक्षाफल के आधार पर राज्य कोटा की सीटों पर Counselling आयोजन हेतु विवरण पुस्तिका के प्रारूप में आंशिक संशोधन के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक–484/2019, दिनांक–19.03.2019 एवं विभागीय पत्रांक–412(1), दिनांक–28.03.2019**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–412(1), दिनांक–28.03.2019 द्वारा वांछित संशोधनों के साथ National Eligibility cum Entrance Test (Post Graduate) for admission to Medical/Dental, MD/MS/Post Graduate Diploma Courses-2019 के परीक्षाफल के आधार पर राज्य कोटा की सीटों पर Counselling आयोजन हेतु विवरण पुस्तिका के प्रारूप पर विभागीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2– माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–7552/2018 सतीश कुमार एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–09.05.2018 को पारित न्यायादेश एवं समरूप विषय–वस्तु पर दायर विचाराधीन सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–7325/2019 ऐश्वर्या सिंह एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य के आलोक में विवरण–पुस्तिका की कंडिका–6.1(i) में, उसकी समुचित व्याख्या के उद्देश्य से, समीक्षोपरान्त निम्नरुपेण संशोधन किया जाता है–

कंडिका सं0	वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
6.1(i)	The Candidates must have passed the MBBS Examination from any Medical College of Bihar State included in the schedule of Medical Council of India. For Private Medical Colleges, this criteria is liable to be modified in the light of ज्ञापांक–सं01/विविध–74/2016–404(1) दिनांक 06.04.2018 and related directives of Department of Health, Govt. of Bihar (See Annexure - 5).	The Candidates must have passed the MBBS Examination from any Medical College of Bihar State which is established or financially aided by the State Government or established and run by private management and included in the schedule of Medical Council of India. For Private Medical Colleges, this criteria is liable to be modified in the light of ज्ञापांक–सं01/विविध–74/2016–404(1), दिनांक–06.04.2018 and related directives of Department of Health, Govt. of Bihar (See Annexure -5).

क्रमशः

3— अनुरोध है कि उक्त संशोधन को विवरण—पुस्तिका में यथास्थान समाहित करने की कृपा की जाय।

4— विभागीय प्रासंगिक पत्रांक—412(1), दिनांक—28.03.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5— इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव